

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,
5, हार्डिंग रोड, पटना-800001
(वेबसाइट- <https://bpssc.bihar.gov.in>)

बिहार पुलिस रेडियो (वितंतु), बिहार, पटना में सहायक अवर निरीक्षक (तकनीकी) के रिक्त पद पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन
ऑनलाइन आवेदन
की प्रारंभ तिथि-21/05/2026 अंतिम तिथि-21/06/2026

विज्ञापन संख्या-07/2026

बिहार पुलिस रेडियो (वितंतु), बिहार, पटना में सहायक अवर निरीक्षक (तकनीकी) के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है:-

क्र०	पद	वेतनमान	रिक्तियों की संख्या
1.	सहायक अवर निरीक्षक (तकनीकी) Assistant Sub-Inspector (Technical)	लेवल-5	22 (बाईस)

उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या-07/2026 यहाँ जारी किया जा रहा है।

- उक्त पद पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन (Online) आवेदन प्राप्त किया जायेगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है।
- बिहार पुलिस रेडियो (वितंतु), बिहार, पटना में सहायक अवर निरीक्षक (तकनीकी) के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित/वर्णित प्रावधान:- (i) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार पत्रांक-23/नियुक्ति-01-96/2025, सा0प्र0-5246, दिनांक-18.03.2026 (ii) बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) पत्र संख्या-3/वितंतु-01-06/2021 गृ0वि0-2921 दिनांक-26.02.2026 एवं (iii) बिहार पुलिस मुख्यालय (संचार प्रभाग) का पत्रांक सं0-67/R.O. Sig दिनांक-09.01.2026 द्वारा प्राप्त अध्याचना (iv) बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) की अधिसूचना संख्या-3049/पटना दिनांक-07.04.2021, बिहार पुलिस दूर संचार (वितंतु) एवं तकनीकी अराजपत्रित संवर्ग नियमावली-2021 (v) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति,

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम-3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) (vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-294, दिनांक-07 जनवरी, 2016 (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक-16.07.2007(viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26 फरवरी, 2019 (बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण नियमावली, 2019 (ix) विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या-1520, दिनांक 23 फरवरी, 2019 बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 2019 (x) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्र संख्या-6168, दिनांक-31.03.2023 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्र संख्या-12123 दिनांक-23.06.2023 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार पटना के पत्र सं0-5622, दिनांक-24.03.2026 (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) (xi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-963, दिनांक-20 जनवरी, 2016 (xii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्र संख्या-2342, दिनांक-15.02.2016 (महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के संबंध में रोस्टर बिन्दु का निर्धारण) (xiii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-12575, दिनांक-09.07.2025 (बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाओं को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होने के संबंध में) (xiv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्र संख्या-3/एम0-44/2021सा0प्र0-5374, दिनांक-02.04.2013 (भूतपूर्व सैनिकों की दी जाने वाली उच्च सीमा में रियायत के संबंध में) (xv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्र संख्या-11/आ0नी0-1-02/2014-सा0प्र0-12722, दिनांक-12 सितम्बर, 2014 (किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर से संबंधित) तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के आलोक में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा उक्त रिक्तियों के लिए भर्ती की प्रक्रिया आयोजित की जायेगी।

4. आवेदन के लिए पात्रता:-

- 4.1 भारतीय नागरिक (Indian) होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेन्डर आवेदन कर सकते हैं।
- 4.2 अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता:- दिनांक-01.08.2025 तक किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पोलिटेक्निक संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन (Electronics & Communication), अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेली कम्यूनिकेशन

(Electronics & Tele Communication), अथवा सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology), अथवा इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (Electrical & Electronics) में से किसी एक विषय में तीन वर्षों के डिप्लोमा कोर्स में कम से कम पचास प्रतिशत (50%) अंकों के साथ उत्तीर्णता होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए यह उत्तीर्णता पैंतालिस प्रतिशत (45%) की होगी।

4.3 **उम्र सीमा की गणना:-** उम्र सीमा की गणना दिनांक-01.08.2025 के आधार पर की जायेगी।

4.4 **अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक- 01.08.2025 को “मैट्रिक अथवा समकक्ष” प्रमाण-पत्र के अनुसार निम्नवत् होगी:-**

- (1) अनारक्षित (सामान्य) कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष।
- (2) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष।
- (3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष।
- (4) बिहार राज्य के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो।
- (5) असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट-ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो।
- (6) अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म-तिथि के आधार पर की जायेगी।

4.5 **अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदण्ड:-**

(क) **ऊँचाई -**

- (1) अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए- न्यूनतम 165 सेन्टीमीटर।
- (2) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष उम्मीदवारों के लिए- न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर।
- (3) सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए- न्यूनतम उँचाई 155 सेन्टीमीटर।

(ख) सीना (सिर्फ पुरुषों के लिए) -

(1) अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए-

बिना फुलाए - 81 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर - 86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा।

(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष उम्मीदवारों के लिए -

बिना फुलाए - 79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर- 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा।

(3) महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी।

(ग) वजन- सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है।

(घ) किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के गजट संख्या-483, दिनांक-25.09.2020 द्वारा उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2020 की कंडिका-5 में निहित प्रावधान के आलोक में धारा 6 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट नियम-4 में निर्धारित पद्धति के अनुसार प्रपत्र-3 में पहचान पत्र निर्गत करेगा, जिसमें अंकित लिंग के अनुसार उनकी श्रेणी का निर्धारण किया जायेगा।

5. नियुक्ति की प्रक्रिया:- नियुक्ति प्रक्रिया में लिखित एवं शारीरिक दक्षता/जॉच परीक्षा सम्मिलित होगी।

(अ) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा:-

(i) आवेदन-पत्रों के संग्रहण के उपरान्त आवेदन-पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र सही पाये जायेंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा दो चरणों में होगी यथा-प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे।

(ii) प्रथम चरण:- प्रारम्भिक परीक्षा- प्रारम्भिक परीक्षा में एक सौ (100) अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्नों की कुल संख्या एक सौ (100) होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 (दो) घंटे की होगी। उक्त प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से सम्बन्धित चालीस (40) प्रश्न एवं साठ (60) प्रश्न समूह (क) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन (Electronics & Communication), अथवा समूह (ख) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेली कम्यूनिकेशन

(Electronics & Tele Communication), अथवा समूह (ग) सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology), अथवा समूह (घ) इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (Electrical & Electronics) विषयों के होंगे। अभ्यर्थियों को समूह (क),(ख),(ग) अथवा (घ) में किसी एक समूह का चयन कर इन साठ (60) प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रश्नों का स्तर पोलीटेक्नीक स्तर का होगा। **प्रारंभिक परीक्षा में तीस प्रतिशत (30%) से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किये जायेंगे।** प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के बीस (20) गुणा सफल अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु आरक्षण कोटिवार मेधाक्रमानुसार किया जायेगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात में उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा।

प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। बहु-सत्रीय/बहु-प्रश्नपत्रीय परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु सामान्यीकृत (Normalized) अंकों की गणना इक्वि-पर्सेंटाइल पद्धति (Equi-Percentile Method) से की जाएगी।

- (iii) **द्वितीय चरण:- मुख्य परीक्षा-** प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जायेगा। मुख्य परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे।
- (क) प्रथम पत्र एक सौ (100) अंकों का सामान्य भाषा ज्ञान, जिसमें पचास (50) अंकों के सामान्य हिन्दी एवं पचास (50) अंकों के सामान्य अंग्रेजी विषय से प्रश्न होंगे। प्रश्नों का स्तर इंटरमीडिएट स्तर का होगा और यह वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। इसमें न्यूनतम अहर्ताक तीस (30) अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। सामान्य भाषा ज्ञान पत्र के लिए परीक्षा की अवधि डेढ़ घंटे की होगी। सामान्य भाषा ज्ञान पत्र के प्राप्तांक मेधा के अवधारण में नहीं जोड़े जायेंगे।
- (ख) द्वितीय प्रश्न पत्र समूह (क) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन (Electronics & Communication), अथवा समूह (ख) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेली कम्यूनिकेशन (Electronics & Tele Communication), अथवा समूह (ग) सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology), अथवा समूह (घ) इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (Electrical & Electronics) विषयों में से किसी एक विषय की परीक्षा देनी होगी। इसमें वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसका पूर्णांक एक सौ (100) अंक, प्रश्नों की संख्या एक सौ (100) होगी तथा परीक्षा अवधि तीन घंटे की होगी। प्रश्नों का स्तर पोलीटेक्नीक स्तर का होगा।
- (iv) दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए दशमलव दो (0.2) अंक काट जायेगा। उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के

पास सुरक्षित रखी जायेगी। मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र में न्यूनतम तैंतीस प्रतिशत (33%) अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार असफल होंगे।

- (v) द्वितीय चरण की परीक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अधिकतम पाँच (5) गुणा सफल अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु आरक्षण कोटिवार मेधाक्रमानुसार किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात को उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा।

- (ब) तृतीय चरण:- शारीरिक दक्षता/जाँच परीक्षा- ये अर्हक प्रकृति की होगी और इन जाँचों में कोई अंक नहीं दिये जायेंगे, परन्तु सभी में अलग-अलग सफल होना अनिवार्य होगा।

- (i) दौड़ -

सभी कोटि के पुरुषों के लिए- 1 (एक) मील (1.6 कि०मी०) की दौड़ अधिकतम 7 मिनट में।

सभी कोटि के महिलाओं के लिए- 1 (एक) किलोमीटर की दौड़ अधिकतम 7 मिनट में।

विनिश्चित समय से अधिक समय लेने वाले उम्मीदवारों को असफल घोषित कर दिया जायेगा।

- (ii) ऊँची कूद-

पुरुष उम्मीदवारों के लिए - न्यूनतम ऊँचाई 3 फीट 6 इंच।

महिला उम्मीदवारों के लिए - न्यूनतम ऊँचाई 2 फीट 6 इंच।

- (iii) लंबी कूद -

पुरुष उम्मीदवारों के लिए - न्यूनतम 10 (दस) फीट।

महिला उम्मीदवारों के लिए - न्यूनतम 7 (सात) फीट।

- (iv) गोला फेंक -

पुरुष उम्मीदवारों के लिए - 16 पाउण्ड का गोला
न्यूनतम 14 (चौदह) फीट।

महिला उम्मीदवारों के लिए - 12 पाउण्ड का गोला
न्यूनतम 08 (आठ) फीट।

ऊँची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक प्रत्येक जाँच/कार्यक्रम के लिए अधिकतम तीन मौका प्रदान किया जायेगा।

उपर्युक्त चारों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊँची कूद, लम्बी कूद एवं गोला फेंक स्पर्धा/स्पर्धाओं में प्रत्येक में न्यूनतम विनिश्चित मानदण्ड पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जायेगा।

- (v) किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदण्ड पिछड़े वर्ग के सामान होंगे।

6. **मेधा सूची का निर्माण:-**

- (i) शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से चयन हेतु **अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची लिखित परीक्षा की मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्तांक के आधार पर रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार तैयार की जायेगी।**
- (ii) मुख्य लिखित परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनकी जन्म-तिथि के आधार पर किया जायेगा अर्थात् उच्च में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म-तिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जायेगा अर्थात् तुलनात्मक दृष्टिकोण से अधिक शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। इसके बावजूद यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान प्राप्तांक एवं समान जन्म-तिथि वाले हों, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आवधारित की जायेगी अर्थात् अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। इसके बावजूद यदि वरीयता का अवधारण नहीं हो पाए तो उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण-पत्र में यथोल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार यह आवधारित की जायेगी।
- (iii) अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति प्राधिकार पुलिस उप-महानिरीक्षक (वितंतु एवं तकनीकी सेवाएँ) को नियुक्ति हेतु भेजी जाएगी।

7. **रिक्ति:-**सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-23/ नियुक्ति-01-96/2025, सा0प्र0-5246, दिनांक-18.03.2026 द्वारा प्राप्त अध्याचना के अनुसार सहायक अवर निरीक्षक (तकनीकी) पद की रिक्तियों का विवरण निम्नवत है:-

कोटि	कोटिवार कुल रिक्ति की संख्या	रोस्टर के अनुसार महिलाओं के लिए 35% आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या
गैर आरक्षित वर्ग	08	03
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02	-
अनुसूचित जाति	03	01
अनुसूचित जनजाति	01	-
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	04	01
पिछड़ा वर्ग	03	01
पिछड़े वर्गों की महिलायें	01	-
योग	22	06

8. आरक्षण:-

- (i) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम 3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू होगा।

(ii) महिलाओं के लिए प्रावधान:-

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (अधिनियम 3, 1992) (समय समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए शेष आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गों के 97 प्रतिशत पदों के विरुद्ध 35 प्रतिशत पद, प्रत्येक आरक्षण कोटि में, अलग-अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यह आरक्षण क्षैतिज आरक्षण होगा। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-12575, दिनांक-09.07.2025 के द्वारा 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमान्य किया गया है।

परंतु, यह भी कि बिहार अधिनियम 3, 1992 की धारा 4(3) में निहित प्रावधान के अनुसार महिलाओं के लिए उपर्युक्त 35 प्रतिशत के अतिरिक्त यथास्थिति मेधानुसार भी महिलाओं की नियुक्ति की जा सकेगी।

- (iii) “बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019” के प्रावधान लागू होंगे। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 की आय एवं परिसम्पत्तियों के आधार पर बना हुआ प्रमाण-पत्र अनुमान्य होगा।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित/तलाकशुदा/परित्यक्ता/ महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5622, दिनांक-24.03.2026 के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा।

(iv) बिहार राज्य के किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) के लिए प्रावधान:-

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-47 पर किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) को स्वतंत्र रूप से शामिल किया गया है। बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प संख्या-12722, दिनांक-12 सितम्बर, 2014 के अनुसार किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) व्यक्तियों को राज्य सरकार की सेवाओं में पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के गजट संख्या-483, दिनांक-25.09.2020 द्वारा उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियमावली, 2020 एवं बिहार

सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र संख्या-5970, दिनांक-02.04.2025 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पहचान पत्र के अनुसार लिंग का निर्धारण किया जायेगा।

- (v) किसी भी प्रकार के आरक्षण(महिलाओं के 35% आरक्षण सहित) का लाभ, केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमान्य होगा। अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जायेगी। तदनुसार उनके लिए अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएँ लागू होंगी। अतएव अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने आवेदन-पत्र में स्वयं को अनारक्षित कोटि/श्रेणी का अभ्यर्थी घोषित करते हुए आवेदन समर्पित करें, अन्यथा स्थिति में उनको अयोग्य माना जाएगा।

9. **कट ऑफ तिथि:-** सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण-पत्र एवं भूतपूर्व सैनिकों की आयु गणना के लिए कट-ऑफ तिथि 01 अगस्त, 2025 निर्धारित की जाती है।

10. **नियुक्ति प्राधिकार:-** प्राप्त अध्याचना के अनुसार सहायक अवर निरीक्षक (तकनीकी) पद हेतु नियुक्ति प्राधिकार पुलिस उप-महानिरीक्षक (वित्तु एवं तकनीकी सेवायें) होंगे।

11. **चिकित्सीय जाँच, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन-**

उपरोक्त पद पर नियुक्ति से पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा यथाविहित नियम के अनुसार कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं/अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाये जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किये जाएंगे।

अभ्यर्थी को ऐसे रोग, गठन विकार या दैहिक दुर्बलता से मुक्त होना चाहिए जिसके चलते वह कर्तव्यों के लिए अयोग्य हो या हो सकता हो।

टिप्पणी 1- नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जायेगा। दृष्टि दोष, कलर ब्लाइन्डनेस, श्रवण शक्ति, हकलाहट, फ्लैट-फुट एवं नौकिंग-नी आदि की जाँच चिकित्सकीय जाँच में की जायेगी। नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा।

टिप्पणी 2- हकलाना या तुतलाना जैसी त्रुटि के कारण अभ्यर्थी चुनाव का पात्र नहीं रह जायेगा।

12. लिखित परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय अभ्यर्थी कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग तथा प्रशासन द्वारा इस संबंध में निर्गत सभी अद्यतन निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे।

13. **ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:-** उपरोक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की पद्धति अपनायी गयी है। विहित पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में आयोग की वेबसाइट-

<https://bpssc.bihar.gov.in> के “Bihar Police” Tab पर विस्तार से बताया गया है। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य (परीक्षा शुल्क के रूप में) पर ऑनलाइन आवेदन का क्रय करना होगा। आवेदन का मूल्य ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन के मूल्य का भुगतान करना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन का रजिस्ट्रेशन करने/आवेदन समर्पित करने के बाद आवेदन के शुल्क को संबंधित बैंक से चार्ज बैंक की मांग कर वापस ले लिया जाएगा उनके आवेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

14. सभी वर्ग/कोटि की पुरुष/महिला एवं थर्ड जेन्डर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन का मूल्य 100/- (एक सौ) रुपये है।
15. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अभ्यर्थियों से कोई राशि नहीं लेगा, किन्तु नेट बैंकिंग (Net Banking) या क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड (Credit/Debit Card) प्रयोग करने पर बैंक चार्ज का वहन अभ्यर्थियों को करना होगा। देश में प्रचलित क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड (Credit/Debit Card) एवं नेट बैंकिंग (Net Banking)/UPI के ट्रान्जेक्शन (Transaction) ही अनुमान्य होंगे इसके अतिरिक्त कोई अन्य Payment Mode मान्य नहीं होगा।

16. ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आवश्यक निर्देश :-

- (i) ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन भरने के पूर्व सभी दिशा निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही अंकित करें। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पायी जायेगी तो आवेदन को रद्द करने के साथ-साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।
- (ii) ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की वेबसाइट-<https://bpssc.bihar.gov.in> के “Bihar Police” Tab पर जाकर Advt. No.- 07/2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करेंगे। इसी पृष्ठ पर दिये गये आवेदन संबंधी लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।
- (iii) पंजीकरण और भुगतान करने से पहले एक वैध एवं सक्रिय मोबाइल नम्बर और ई-मेल आईडी रखें जो यथासम्भव आपके नाम से पंजीकृत हो, उसका प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। **पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी अनिवार्य है।** यदि आपकी अपनी ई-मेल आईडी (e-mail Id) नहीं है तो अपनी ई-मेल आईडी (e-mail Id) अवश्य बना लें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में एवं चयन प्रक्रिया के दौरान

आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण सूचनाएँ आपके ई-मेल आईडी0 (e-mail Id) एवं आपके मोबाइल फोन पर साझा की जाएँगी।

- (iv) भर्ती के अंतिम चरण के पूर्ण होने तक आयोग अभ्यर्थी से उसी मोबाइल नम्बर / ई-मेल आईडी0 पर संवाद करेगा, जो पंजीकरण के दौरान दिया गया है। गलत या अमान्य या डिस्कनेक्ट किया गया मोबाइल नम्बर या ई-मेल आईडी0 के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।
- (v) अभ्यर्थी को आवेदन एवं बैंक शुल्क के मूल्य का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आवेदकों को भुगतान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और एकल आवेदन के लिए कई भुगतानों से बचना चाहिए। किसी भी मामले में सफल भुगतान के बाद आवेदन शुल्क की राशि लौटाई नहीं जायेगी। अगर बिजली या इंटरनेट की विफलता या बैंक लिंक की धीमी गति के कारण राशि की कटौती हो जाती है और पंजीकरण नहीं हो पाता है तो शुल्क/राशि 07 (सात) कार्य दिवस के बाद Payment Gateway द्वारा लौटा दी जाएगी।
- (vi) एक मोबाइल नम्बर से मात्र एक ही आवेदन भरा जा सकेगा। आवेदन भरते समय मोबाइल फोन अभ्यर्थी के पास होना चाहिए क्योंकि उसी मोबाइल नम्बर पर SMS के माध्यम से रजिस्ट्रेशन आईडी0 एवं पासवर्ड (Password) भेजा जायेगा। यही रजिस्ट्रेशन आईडी0 एवं पासवर्ड (Password) आपके रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी0 पर भी भेजा जायेगा।
- (vii) आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता पूर्ण करते हैं।
- (viii) एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन करेंगे उनको अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।
- (ix) अभ्यर्थी दसवीं/समकक्ष की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र के आधार पर अपनी जन्म-तिथि का सही-सही उल्लेख करेंगे। आवेदन में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता/पति का नाम, पता आदि सभी सूचनाएँ बिल्कुल सही-सही भरेंगे। प्रमाण-पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पायी जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
- (x) *आवेदन में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। अतः आवेदक पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि वे किस वर्ग अथवा कोटि से संबंध रखते हैं।*

(xi) आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अपनी कोटि/श्रेणी/जाति/वर्ग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट-state.bihar.gov.in पर समय-समय पर जारी तत्संबंधी अद्यतन अनुदेशों/आदेशों का अवश्य अध्ययन कर लें।

(xii) **ऑनलाइन आवेदन:-**

ऑनलाइन आवेदन दो भागों में भरा जायेगा-

(क) **ऑनलाइन आवेदन के प्रथम भाग** में उम्मीदवार का सर्वप्रथम पंजीकरण किया जाता है। इस क्रम में अभ्यर्थी का नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नम्बर, ई-मेल आईडी0, बिहार राज्य का अधिवास (डोमिसाइल), आरक्षण कोटि, लिंग एवं जन्म-तिथि संबंधी जानकारी ली जाती है। तत्पश्चात् भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सफल पंजीकरण के पश्चात मोबाइल फोन एवं ई-मेल आईडी0 के माध्यम से अभ्यर्थी को तत्काल पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड (Password) SMS/E-mail द्वारा भेजा जाएगा। भुगतान के पूर्व अभ्यर्थी को अपने विवरण 'Edit' (सुधार) करने की सुविधा है।

पंजीकरण रद्दीकरण - यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया है तो भुगतान के बाद आप ऐसे विवरण को एडिट (Edit) नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में आवेदक रद्दीकरण (Cancel Registration Form) प्रावधान का उपयोग कर अपने पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं। किन्तु पहले भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नये पंजीकरण के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा।

(ख) सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के पश्चात उपलब्ध कराये गये पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड से लॉगइन (Login) करने के बाद **ऑनलाइन आवेदन के द्वितीय भाग** में वांछित सूचनाएँ यथा- पिता/पति का नाम, माता का नाम, पता एवं शैक्षणिक योग्यता आदि की सही जानकारी देते हुए घोषणा पर सहमति देनी होगी। इसके बाद (i) आवेदक का फोटोग्राफ, रंगीन एवं दो माह के अंदर खींचा हुआ, जिसका बैक ग्राउन्ड सफेद हो, 15 से 25 के0बी0 के बीच का, .jpg/.jpeg/.gif फॉरमेट में एवं (ii) हस्ताक्षर अंग्रेजी एवं हिन्दी में (काली अथवा नीली स्याही) से अलग-अलग, 15 से 25 के0बी0 के बीच का, .jpg/.jpeg/.gif फॉरमेट में, जो सफेद बैक ग्राउन्ड पर हो, ऐसे फोटो एवं हस्ताक्षरों को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है।

(ग) फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में दिये गये निर्देश का पालन न करने की स्थिति में आवेदक का ऑनलाइन आवेदन रद्द/निरस्त कर दिया जायेगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड हो जाने के पश्चात पूर्णरूपेण भरे हुए ऑनलाइन आवेदन को अंतिम रूप से समर्पित (Submit) करने से पहले आवेदक "Edit Details" के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। एक बार पुष्टि (Confirm) और समर्पित

(Submit) करने के बाद आवेदन के विवरण को एडिट नहीं कर सकते हैं। आवेदन सबमिट करने के उपरांत आवेदक को उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर/ई-मेल आईडी0 पर एक पुष्टिकरण संदेश (SMS/E-mail) प्राप्त होगा तभी आवेदन भरने की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। अंतिम रूप से सबमिट/समर्पित किए गये आवेदन के विवरण को सही मानते हुए आयोग आवेदन में किसी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं देगा। अभ्यर्थी अब अपने भरे हुए आवेदन की पावती (Acknowledgement) A4 साईज के पेपर पर प्रिंट (Print) कर उसे भली-भाँति जाँच लेंगे तथा भविष्य में किसी भी तरह के पत्राचार अथवा मांगे जाने पर उपस्थापित करेंगे।

- (घ) गलत/त्रुटिपूर्ण आवेदन को रद्द कर नया आवेदन भरने की प्रक्रिया:- यदि आवेदक को लगता है कि उसका आवेदन गलत/त्रुटिपूर्ण विवरण के साथ अंतिम रूप से समर्पित (Submit) हो गया है और उसमें सुधार की आवश्यकता है तो आवेदक रद्दीकरण (Cancel) प्रावधान का उपयोग कर आवेदन रद्द कर सकता है। परन्तु पूर्व में भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नये आवेदन के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा।

17. महत्वपूर्ण निर्देश :-

भरे गये ऑनलाइन आवेदन को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु भविष्य में पत्राचार/जानकारी प्राप्त करने के लिए Registration Number आवश्यक है। अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन की पावती (फोटो सहित) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से पत्राचार करते समय आवेदन की पावती (Acknowledgement) की छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करें।

18. ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि :-

ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि निर्धारित है। इसमें कोई विस्तार नहीं किया जायेगा। डाक या अन्य माध्यमों से भेजे गये आवेदन में सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।

19. उम्मीदवारी रद्दीकरण- आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी समय निम्नलिखित आधार पर बिना कारण बताये रद्द की जा सकती है:

- (i) आवेदन पत्र का प्रथम भाग (पंजीकरण) भरा जाना, परन्तु द्वितीय भाग को भर कर Submit न करना।
- (ii) आवेदक द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर upload न किया जाना या किसी अन्य व्यक्ति या अन्य का फोटो एवं हस्ताक्षर का upload किया जाना।
- (iii) आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किया जाना अथवा भुगतान के पश्चात राशि को पुनः बैंक से चाजबैंक के रूप में प्राप्त कर लेना।

- (iv) आवेदन में गलत सूचना दिया जाना।
 - (v) गलत आरक्षण कोटि का भरा जाना अथवा अनारक्षित कोटि से संबंध रखने वाले आवेदक द्वारा किसी आरक्षण कोटि का दावा किया जाना।
 - (vi) आवेदन में दी गई सूचनाओं का दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना।
 - (vii) आवेदन में जन्म-तिथि गलत अंकित करना।
 - (viii) आवेदन में गलत लिंग (Gender) अंकित करना।
 - (ix) आवेदक का उम्मीदवारी की पात्रता पूर्ण न करना, जैसे- विनिर्दिष्ट तिथि को निर्धारित उम्र सीमा से बाहर का होना, कट-ऑफ तिथि तक शैक्षणिक योग्यता धारण न करना तथा भारत का नागरिक न होना आदि।
 - (x) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत न किया जाना।
 - (xi) प्रमाण-पत्र का सही स्वरूप में प्रस्तुत/समर्पित न करना, जैसे-
 - (क) आरक्षित कोटि की विवाहित महिला अभ्यर्थी द्वारा पिता के आधार पर जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं क्रीमीलेयर से संबंध न रखने का प्रमाण-पत्र (जहाँ लागू हो), समर्पित करने के स्थान पर पति के आधार पर प्रमाण-पत्र समर्पित करना उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है, क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होती है, न कि विवाह से।
 - (ख) आवेदक द्वारा आवेदन में स्वयं को आरक्षण कोटि का होने का दावा करना परन्तु दस्तावेज जाँच में उन्हें दूसरी आरक्षण कोटि अथवा अनारक्षित कोटि का पाया जाना, आदि।
 - (xii) आवेदक का किसी आपराधिक काण्ड/गतिविधि में सम्मिलित पाया जाना।
 - (xiii) आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा के क्रम में धोखाधड़ी करना अथवा प्रयास करना। इसमें पररूपधारण, कदाचार आदि कृत्य शामिल हैं।
 - (xiv) आवेदक द्वारा परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मियों को किसी भी प्रकार का प्रलोभन या धमकी देना अथवा देने का प्रयास करना।
 - (xv) अन्य कोई परिस्थिति जो विज्ञापन की शर्तों के विरुद्ध हो अथवा सामान्य रूप से भी प्रतियोगिता परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन के विरुद्ध पाई जाए।
- 20.** आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक वैध आवेदन वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा से संबंधित प्रवेश-पत्र ऑनलाइन निर्गत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में सूचना समाचार-पत्रों के माध्यम से एवं आयोग की वेबसाइट पर यथा समय दी जायेगी। कई आवश्यक सूचनाएँ आपको SMS/E-Mail के माध्यम से दी जा सकती हैं। अतः अपना पंजीकृत मोबाइल फोन/ई-मेल आईडी0 सक्रिय/जारी रखें।

21. ऐसी विवाहित महिलाएँ जो दौड़ एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय चिकित्सीय परीक्षण में गर्भवती पायी जायेंगी उन्हें चिकित्सीय प्रतिवेदन के आधार पर दौड़ एवं शारीरिक दक्षता/जाँच परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा इस आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। विवाहित महिला अभ्यर्थियों को गर्भवती नहीं होने के सम्बन्ध में एक घोषणा-पत्र भी देना होगा।
22. चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः 06 माह का समय लग सकता है, अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे तदनुसार लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता/जाँच परीक्षा एवं अभिलेख संवीक्षा आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे। किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति (यथा-पारिवारिक, निजी, चिकित्सीय, अस्थि भंग, गर्भावस्था आदि) में मान्य नहीं होगा।

ह0/

अध्यक्ष,

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,
पटना।

पत्र संख्या बि0पु0अ0से0आ0/परीक्षा- 01-04/2025-585

दिनांक-13.05.2026

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का कार्यालय,

5, हार्डिंग रोड, पटना।

- प्रतिलिपि:-1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ कृपया।
2. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ कृपया।
3. अपर सचिव, सामान्य प्रशासन, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ।

ह0/

अध्यक्ष,

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,
पटना।